दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि) 6752/2013

निर्णय तिथि: 25 नवंबर, 2013

अभिमन्यु सिंह ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री प्रदीप कुमार यादव, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ अपने गृह सचिव और अन्य द्वारा .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री बरखा बब्बर, अधिवक्ता

कोरमः
माननीय सुश्री न्यायमूर्ति गीता मित्तल
माननीय सुश्री न्यायमूर्ति दीपा शर्मा

<u>न्या. गीता मित्तल</u> (मौखिक)

1. प्रत्यर्थीगण अग्रिम सूचना पर उपस्थित होते हैं और उन्होंने प्रासंगिक अभिलेख पेश किए हैं।

2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 28 अक्टूबर, 1995 के आदेश को अपास्त करने की मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रशासनिक रूप से इस आधार पर सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया था कि वह दिनाँक 11 मई, 1995 से प्रभावी इस तरह के आदेश के पारित होने की तिथि तक बिना अनुमति के अनुपस्थिति था।

3. यह आदेश याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने के पश्चात पारित किया गया था। याचिकाकर्ता का एकमात्र आधार है कि दिनाँक 8 मई, 1995 से असम के ढोल चेरा में बी.एस.एफ. की 11 बटालियन के साथ तैनात रहते हुए, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की बीमारी के संबंध में अपने घर से एक पत्र प्राप्त हुआ था। यह निवेदित किया जाता है कि उनके अवकाश आवेदन को उचित प्रणाली के माध्यम से स्वीकृती नहीं प्राप्त हुई थी। याचिकाकर्ता अपनी पत्नी और बच्चों की बीमारी की खबर से व्यथित था और वह परिणामस्वरूप घटित होने वाली चिंता को सहन नहीं कर सका। याचिकाकर्ता ने तनावग्रस्त और भावनाओं से परिपूर्ण होने के कारण, दिनाँक 11 मई, 1995 को बिहार राज्य में अपने घर के लिए अपनी टुकडी को छोड़ दिया। अपनी पत्नी और बच्चों की स्थिति के परिणामस्वरूप और जम्मू-कश्मीर में ड्यूटी के दौरान एक ग्रेनेड हमले में चोट से उबरने के पश्चात, याचिकाकर्ता गहरे अवसाद में चला गया।

4. यह भी निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता इस तरह के अवसाद के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहा। रिट याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 10 अगस्त, 1998 को अपनी पत्नी द्वारा लिखे गए दो पत्रों की प्रतियों और बी.एस.एफ. की 11वीं बटालियन के कमांडिंग को लिखे गए दूसरे या अदिनांकित पत्र की प्रतियों पर भरोसा किया।

5. हम ध्यान दें कि याचिकाकर्ता ने इन दो संसूचनाओं की टाइप की गई प्रतियां दायर की हैं जो कथित रूप से दिनांकित 28 अक्टूबर, 1995 के आक्षेपित आदेश के पारित होने के वर्षों पश्चात भेजी गई थीं। इन पत्रों में कहीं भी याचीगण के परिवार के सदस्यों यानी उनकी पत्नी और बच्चों की बीमारी का कोई संदर्भ नहीं है और इस तथ्य का कोई संदर्भ नहीं है कि उनकी बीमारी के कारण याचिकाकर्ता को अपनी टुकड़ी से स्वीकृत छुट्टी के बिना अविलंब्य जाने की आवश्यकता थी।

6. पत्र लेखक द्वारा भेजे गए पत्र या प्रत्यर्थीगण द्वारा प्राप्त पत्रों को किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। हमारे समक्ष प्रत्यर्थी इन पत्रों की प्राप्ति पर विवाद करते हैं। जैसा भी हो, इन पत्रों को दिनांकित 28 अक्टूबर, 1995 के आक्षेपित आदेश के पारित होने के बहुत समय पश्चात भेजा गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सेवाओं से पदच्युत कार दिया गया था।

7. प्रत्यर्थीगण द्वारा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेख से पता चलता है। कि दिनाँक 11 मई, 1995 को याचिकाकर्ता के टुकड़ी से गायब होने के पश्चात, प्रत्यर्थीगण ने उसकी पकड़ के संबंध कार्यवाही शुरू की। हमें सूचित किया जाता है कि दिनाँक 11 मई 1995 को याचिकाकर्ता की पकड़ किए जाने से संबध में आदेश पुलिस अधीक्षक जिला वैशाली, बिहार जिसकी अधिकारिता याचिकाकर्ता के गृह नगर में थी को भेजा था।

8. यह एस कारण एक परिणाममूलक प्रयास नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता टुकड़ी में वापस नहीं आया था। याचिकाकर्ता की अनधिकृत अनुपस्थिति के 30 दिनों की समाप्ति पर, बी.एस.एफ. अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा उन परिस्थितियों जिनमें वह दिनाँक 11 मई, 1995 से प्रभावी अनुपस्थित था की जाँच के लिए एक जाँच न्यायालय अभिनिर्धारित की गयी थी,

9. इसके पश्चात प्रत्यर्थीगण ने दिनाँक 25 जुलाई, 1995 को कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता को बिना स्वीकृत छुट्टी के लंबे समय तक अनुपस्थित के कारण बर्खास्त करने के संभावित प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया और इसके विरुद्ध कारण बताने के लिए कहा गया।

10. याचिकाकर्ता को दिनाँक 24 अगस्त, 1995 को या उससे पूर्व 11वीं बटालियन, बी. एस. एफ. के कमांडेंट के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने और अपना बचाव करने का अवसर दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर यह माना जाना था कि याचिकाकर्ता के पास पेश करने के लिए कोई बचाव नहीं था।

11. याचिकाकर्ता इस नोटिस का जवाब देने में विफल रहा। नतीजतन, प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता की बिना अनुमति के अनुपस्थिति बिना किसी उचित कारण के थी इस बात से संतुष्ट होकर दिनांकित 28 अक्टूबर, 1995 से प्रभावी एक आदेश पारित किया, याचिकाकर्ता को दिनाँक 28 अक्टूबर, 1995 वर्तमान समय से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने यह भी निर्देश दिया कि

याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि दिनाँक 11 मई, 1995 से प्रभावी दिनाँक 28 अक्टूबर, 1995 तक को डाइस नॉन माना जाए।

12. उपरोक्त वर्णन से पता चलता है कि आक्षेपित आदेश अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुपालन के पश्चात पारित किया गया था और इसके किसी भी अतिक्रमण के लिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

13. हमें सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में भी छह मौकों पर या तो खुद को अनुपस्थित रखा था या उनसे मंजूरी लिए बिना छुट्टी पर चला गया था और इस संबंध में ऐसी छुट्टी को नियमित करने के आदेश पारित किए गए थे। सेवा से अनुपस्थिति का विवरण हमारे समक्ष रखा गया है। चूंकि आक्षेपित कार्रवाई याचिकाकर्ता की छुट्टी बिना अनुपस्थिति के इन दृष्टांत पर आधारित नहीं थी, इसलिए मामले के इस पहलू पर हमें और अधिक रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है।

14. हम ध्यान दें कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसकी पत्नी ने याचिकाकर्ता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के संबंध में 11 बटालियन के कमांडेंट को 10 अगस्त, 1998 को पत्र लिखा है। याचिकाकर्ता की पत्नी श्रीमती रेणु देवी द्वारा लिखे गए दिनांकित 10 अगस्त, 1998 के पत्र को अभिलेख में रखी गई प्रति के अनुसार, याचिकाकर्ता की पत्नी रेणु देवी ने इसमें उल्लेख किया गया है कि उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण

याचिकाकर्ता बिना किसी छुट्टी की मंजूरी के (टुकड़ी से) वापिस आ गया। उसने कहा कि उसे टुकड़ी से कोई जवाब नहीं मिला है और उसने अधिकारियों से अनुरोध किया की वे परिवार आजीविका में बाधा न डालें । उसने यह भी बताया कि वह उसका इलाज करवा रही है और कुछ सुधार के पश्चात वह याचिकाकर्ता को टुकड़ी में भेजेगी।

15. याचिकाकर्ता की पत्नी द्वारा बी.एस.एफ. के महानिदेशक को कथित रूप से भेजे गए दूसरे अभ्यावेदन को भी अभिलेख पर रखा गया है। याचिकाकर्ता की पत्नी ने याचिकाकर्ता की गलती स्वीकार कर ली है और इसके लिए माफी मांगी गई है।

16. रिट याचिका के साथ-साथ प्रत्यर्थीगण के अभ्यावेदन किसी भी पर्याप्त आधार की व्याख्या नहीं करते हैं जो अधिकारियों को याचिकाकर्ता की बीमारी के पहलू पर विचार करने में सक्षम बनाएगा। किसी भी मामले में, सीमा सुरक्षा बल के रूप में एक अनुशासित बल से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति की लंबी अवधि, जैसा कि निर्धारित तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति को माफ़ करने की अनुमति नहीं देता है।

17. हम इस बात पर ध्यान दें सकते हैं कि रिट याचिका दिनाँक 28 अक्टूबर, 1995 के आक्षेपित आदेश के पारित होने के 18 वर्ष से अधिक समय के पश्चात दायर की गई है, जो स्वयं ही अस्पष्टीकृत देरी और अड़चनों के कारण याचिका

की अस्वीकृति के योग्य होगी। जो भी हो, हमने अन्यथा याचिकाकर्ता के मामले पर याचिका में उठाए गए प्रतिविरोधों के गुणागुण पर विचार किया है।

18. हम रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

19. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

न्या. गीता मित्तल

न्या. दीपा शर्मा

नवंबर 25, 2013
जे

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में* निर्णय *का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*